

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/समन्वयक, जिला स्वास्थ्य समिति,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/विधि/2300-75

दिनांक 13.12.2012

विषय—: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

महादोय,

मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा अन्तर्गत रिट याचिका संख्या — 1296 of 2012 (एस/बी), Dr. Dhirndera Kumar & other V's U.O.I. तथा अन्य रिट याचिकाओं में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है।


“Accordingly, we direct the opposite party No.3/Mission Director, National Rural Health Mission, U.P. to re-engage the petitioners against the increased vacancies under the Scheme, if there is no other legal impediment and in case, the vacancies still remain thereafter, said vacancies shall be filled-up in accordance with law.

The writ petition stand disposed of in above terms.”

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों हेतु संविदा पर एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/आयुष चिकित्सकों की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जानी है/की जा रही है, पुनः संविदा पर लिये जाने हेतु इस क्रम में पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/बी0एस0जी0वाई0/18/2012-13/1598 -2 दिनांक 05/10/12 द्वारा समायोजन के सम्बन्ध में सुस्पष्ट निर्देश दिये गये हैं (पृष्ठ-2 प्रस्तर-3)। पुनः निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करे, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पूर्व में भी निम्नानुसार अनुमति प्रदान की गयी है।

1. यदि रिक्त पदों पर नवीन तैनाती की जानी है तो पूर्व से अनुबन्ध पर कार्यरत रिट याचिकाओं से सम्बन्धित एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संविदा चिकित्सकों का विगत वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन निर्धारित प्रारूप पर करते हुए सुयोग्य पाये जाने पर पुनर्अनुबन्ध किया जाए।
2. उपर्युक्त स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समिति को इस आशय से दी जा रही है कि एन0आर0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों पर उपरोक्त आदेशों से सम्बन्धित जनपदों में संविदा के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार चिकित्सकों की तैनाती करना सुनिश्चित करे।

भवदीय,


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक,

पत्रांक—एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/विधि/

दिनांक .11.2012

प्रतिलिपि—: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक,